

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या-4/क्षेत्रस्था0 (आवंटन)-04/2018- (4)/रा0 पटना-15, दिनांक-
सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2802 संविदा सेवाये मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से प्राप्त 40,00,00,000.00 (चालीस करोड़) रूपया मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध, उपशीर्ष-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विषय शीर्ष-2802 संविदा सेवायें से विकलनीय होगा।

3. राज्य के जिलों में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पूर्व के वित्तीय वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र के आधार पर संलग्न विवरणी के अनुसार 40,00,00,000.00 (चालीस करोड़) रूपया मात्र राशि की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों के लिए ही भुगतेय होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बन्धित जिला के समाहर्ता होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. संबंधित जिला यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत राशि में से जिलों में विपत्र कोड-40-2029001040001 के अंतर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध संविदा नियोजित

सभी कर्मियों के बकायें एवं वर्तमान मानदेय का भुगतान इस वित्तिय वर्ष में निश्चित रूप से हो जाय।

7. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी। साथ ही समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013, 2401, दिनांक-18.07.2007 एवं 1718, दिनांक-06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों (लिपिक, राजस्व कर्मचारी, अमीन, प्रारूपक, जंजीरवाहक-सह-आदेशपाल, प्रोसेस पिऊन, चालक, भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यालय में संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक तथा आशुलिपिक) के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 240- (4)/रा०, पटना-15, दिनांक-21/3/18

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी सम्बन्धित समाहर्ता/विभागीय प्रशाखा-5 'बजट शाखा' को (आवंटन निर्गत हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

फैक्स
ई-मेल

मुख्य शीर्ष-2029 मॉग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 अंतर्गत 2802 संविदा सेवाएँ मद में वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि की जिलावार विवरणी :-

क्र०	जिला	स्वीकृति राशि	जिला का पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4
1	सहरसा	5200000	
2	सारण	6500000	
3	बांका	5650000	731/रा०, दिनांक-01.08.2017
4	पश्चिम चम्पारण	18300000	3074/रा०, दिनांक-16.11.2017
5	समस्तीपुर	35000000	117(मु०)/रा०, दिनांक-07.06.2017
6	बेगुसराय	20000000	751/रा०, दिनांक-17.06.2017
7	शिवहर	4350000	
8	दरभंगा	12600000	12(मु०)/रा०, दिनांक-19.02.2018 एवं 20/(मु०)/रा० दिनांक-06.03.2018
9	गया	11429000	2162 सा० टिकारी अनुमण्डल, दिनांक-01.12.2017 एवं 1529/(मु०)/रा० दिनांक-20.02.2018
10	भोजपुर	5500000	
11	औरंगाबाद	13150000	3323/रा०, दिनांक-22.12.2017
12	मधुबनी	30000000	98/जि० स्था०, दिनांक-15.01.2018 एवं 345/(जिला० स्था०)-दिनांक-13.03.2018
13	शेखपुरा	8384000	36/स्था०, दिनांक-18.01.2018
14	अरवल	5050000	410/रा०, दिनांक-18.07.2017
15	बक्सर	6750000	03-0244/रा०, दिनांक-27.01.2018
16	वैशाली	6900000	593/जिला० भू०सू०, दिनांक-27.05.2017
17	किशनगंज	2900000	1685/जि०रा०, दिनांक-23.12.2017
18	पटना	16187000	135/स्था०, दिनांक-24.01.2018
19	कैमूर	11250000	98/रा०, दिनांक-15.01.2018
20	जहानाबाद	6150000	1053/रा०, दिनांक-13.10.2017
21	गोपालगंज	10000000	2462/रा०, दिनांक-27.12.2017
22	कटिहार	7500000	38/स्था०, दिनांक-08.01.2018
23	पूर्णियाँ	12100000	1355/स्था०, दिनांक-03.10.2017
24	नालन्दा	12500000	3285/रा०, दिनांक-22.11.2017
25	सीतामढ़ी	13250000	26/मु०/रा०, दिनांक-24.08.2017
26	रोहतास	7250000	
27	खगड़िया	2250000	30/स्था०, दिनांक-16.01.2018
28	मुंगेर	4450000	
29	सुपौल	13700000	920-2/स्था०, दिनांक-13.10.2017
30	जमुई	3000000	1632/रा०, दिनांक-21.12.2017
31	भागलपुर	14500000	406/रा०, दिनांक-19.02.2018
32	मधेपुरा	11250000	48-2/स्था०, दिनांक-24.01.2018
33	नवादा	7300000	95/रा०, दिनांक-13.01.2018 एवं 511/रा०,
34	पूर्वी चम्पारण	18100000	37/रा०, दिनांक-13.03.2018
35	अररिया	4050000	2768/रा०, दिनांक-26.12.2017
36	लखीसराय	7550000	29/रा०, दिनांक-13.01.2018
37	सिवान	15000000	1065/स्था०, दिनांक-15.11.2017
38	मुजफ्फरपुर	5000000	15/मु०, दिनांक-12.02.2018
	कुल-	40,00,00,000.00 (चालीस करोड़ रुपया मात्र)	

4/1/2018
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।